अध्याय II
लेखापरीक्षा पद्धति

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई:

i. यह आकलन कि क्या पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के लिए उद्देश्यपूर्ण मापदंड अपनाए गए थे तथा सभी पी एस बी में उनके उपयोग की निरंतरता की जाँच करने के लिए।

ii. यह आकलन करने के लिए कि क्या पूँजीगत निधियों को जारी करने की निगरानी की गई थी तथा यह जाँच करने के लिए कि क्या पुनर्पूंजीकरण से जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया गया था तथा पुनर्पूंजीकरण के उद्देश्यों को हासिल किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्न हैं:

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति/नीति घोषणाएँ
- डी एफ एस द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश
- आर बी आई द्वारा जारी परिपत्र/दिशानिर्देश
- डी एफ एस और पी एस बी के बीच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)
- डी एफ एस और पी एस बी के बीच निश्चित किए गए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (एम ओ आई) मापदंड
- पी एस बी को निधि जारी करने के स्वीकृति पत्र
- वित्तमंत्री/सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग (डी एफ एस) की अध्यक्षता वाली तिमाही समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त
- वित्तीय संस्थाओं के एन पी ए पर वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट

2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्षेत्र सीमा

2.3.1 लेखापरीक्षा ने 2008–09 से 2016–17 तक के दौरान डी एफ एस के माध्यम से सरकार द्वारा पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा ने डी एफ एस में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की। डी एफ एस ने लेखापीक्षा को सलाह दी थी कि इससे जुड़े कानूनी पक्ष के कारण बैंक विशेष के आंतरिक अभिलेखों की मांग करना उचित नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने कुछ बैंक दस्तावेजों यथा–आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आई सी ए ए

पी)[10] रिपोर्ट तथा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई)[11] की रिपोर्टों का मांगपत्र दिया। डी एफ एस इन दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करा पाया तथा स्पष्ट किया कि उनकी पी एस बी के अभिलेखों तक पहुँच नहीं थी, क्योंकि व्यावसायिक निर्णय बैंकों द्वारा स्वयं लिये जाते थे। लेखापरीक्षा की बैंक विशेष के दस्तावेजों तक पहुँच नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा डी एफ एस के अभिलेख तक सीमित था।

2.3.2 लेखापरीक्षा ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे को लेखापरीक्षा में सहायता हेतु एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।

2.4 लेखापरीक्षा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा 31 अक्टूबर 2016 को एक एन्ट्री कान्फ्रेंस के साथ शुरू हुई। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा हेतु डी एफ एस में रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की समीक्षा पर भरोसा किया। लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, डी एफ एस को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 17 मई 2017 को जारी की गई। डी एफ एस का जवाब 09 जून 2017 को प्राप्त हुआ तथा इसे उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। 14 जून 2017 को एक एक्जिट कान्फ्रेंस की गयी।

2.5 आभार

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं के विभाग से प्राप्त सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। आवश्यक बैंक–वार डेटा प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक का आभारी है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए लेखापरीक्षा प्रशंसा दर्ज करता है।

---

[10] *आई सी ए ए पीः बेसल ।। के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) पर बोर्ड–स्वीकृत नीति रखने की आवश्यकता है। आई सी ए ए पी गुणात्मक एवं गुणवत्ता मूल्यांकित जोखिम को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है और इसमें तनाव परीक्षण एवं परिदृश्य का विश्लेषण भी शामिल है, जिसे समय अंतराल पर किया जाना है, खासकर बैंक के महत्वपूर्ण/वस्तुगत जोखिम के संबंध में, जिससे कि बैंक की संभावित कमजोरियों, जो कुछ अप्रत्याशित लेकिन उचित घटनाओं अथवा बाजार की गतिविधियों जो कि बैंक की पूंजी पर विपरीत असर डाल सकती है, का मूल्यांकन किया जा सके।*

[11] *ए एफ आईः ए एफ आई निम्नलिखित मापदंडों पर बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है :*
(i) आस्ति गुणवत्ता, ऋणशोधन क्षमता एवं पूंजी पर्याप्तता, आय प्रदर्शन एवं तरलता को दर्शाती हुई बैंकों की 'वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन'।
(ii) जोखिम प्रबंधन रणनीतियों सहित 'प्रबंधन (बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन), प्रणालियों तथा आंतरिक नियंत्रण पर केन्द्रित प्रबंधन एवं परिचालन स्थितियाँ।
(iii) रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और दिशानिर्देशों का अनुपालन सहित विनियमों का अनुपालन।